

उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय लखनऊ

विज्ञापन संख्या- 1/2020

दिनांक -17 सितम्बर, 2020

उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय में रिक्त पदों, जिनका विवरण प्रस्तर- 6 में दिया गया है पर भर्ती हेतु भारत के नागरिकों से आनलाइन आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पदों से सम्बन्धित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताओं तथा वरीयान अर्हताओं का विवरण प्रस्तर-11 में दिया गया है।

- 1- आनलाइन आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि- 18 सितम्बर, 2020
- 2- परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि- 12 अक्टूबर, 2020
- 3- आनलाइन परीक्षा शुल्क जमा किये जाने की अंतिम तिथि- 13 अक्टूबर, 2020
- 4- आनलाइन आवेदन-पत्र स्वीकार(submit)किये जाने की अंतिम तिथि- 16 अक्टूबर, 2020

महत्वपूर्ण सूचना-

1. इस विज्ञापन में सम्मिलित समस्त पदों के लिये पृथक-पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना है तथा प्रत्येक पद के लिये पृथक-पृथक परीक्षा शुल्क भी दिया जाना अपेक्षित है।
2. इस विज्ञापन में सम्मिलित पदों हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हताओं को प्राप्त करने हेतु यदि कोई अभ्यर्थी अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो रहा है तो वह भी आवेदन करने का पात्र है किन्तु प्रारम्भिक परीक्षा की तिथि तक उक्त अर्हता में उत्तीर्ण होने से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र/अंक-पत्र प्राप्त हो जाना आवश्यक है।
3. प्रारम्भिक परीक्षा से सम्बन्धित आवेदन-पत्र के साथ किसी प्रकार के शैक्षिक अभिलेखों की प्रतियां संलग्न किया जाना अपेक्षित नहीं है।
4. प्रारम्भिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु पृथक से आवेदन पत्र जमा करना होगा तथा पृथक से परीक्षा शुल्क भी देना होगा।
5. फोटो एवं हस्ताक्षर आनलाइन अपलोड किया जाना आवश्यक है।

विशेष सूचना-

1. बैंक में शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने की स्थिति में ही उनका आवेदन-पत्र स्वीकार किया जायेगा। यदि निर्धारित अंतिम तिथि के उपरान्त बैंक में शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी का आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
2. जमा किया गया शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।
3. निर्धारित अंतिम तिथि तक शुल्क जमा किया जाना तथा निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदन प्रस्तुत किया जाना अभ्यर्थी का दायित्व है।

am

4. आनलाइन आवेदन हेतु अभ्यर्थियों को निर्धारित कालम में अपना मोबाइल नम्बर तथा मान्य ई-मेल आई.डी. अंकित करना होगा, उसके बिना उनका रजिस्ट्रेशन पूर्ण नहीं होगा।
5. अभ्यर्थी द्वारा अंकित मोबाइल नम्बर पर सभी सूचनायें/निर्देश एस.एम.एस. द्वारा प्रेषित किये जायेंगे तथा यथावश्यकता ई-मेल, अभ्यर्थी के ई-मेल आई.डी. पर प्रेषित किये जायेंगे।
6. भर्ती से सम्बन्धित निर्देश एवं आवेदन-पत्र आधिकारिक वेबसाइट www.upvpsrecruitment.org पर दिनांक 18 सितम्बर, 2020 से उपलब्ध होंगे।
7. अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि केवल आनलाइन आवेदन ही स्वीकार किये जायेंगे, अन्य किसी प्रकार/माध्यम से प्रेषित आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
8. वेबसाइट पर क्लिक करने पर विज्ञापन सम्बन्धी अधिसूचना, रजिस्ट्रेशन प्रपत्र एवं आवेदन-पत्र स्वतः प्रदर्शित हो जायेंगे, जिसके निम्नलिखित तीन भाग हैं-
 - 1- अभ्यर्थियों हेतु निर्देश (user instructions)
 - 2- विज्ञापन (advertisement)
 - 3- आवेदन-पत्र भरा जाना (apply)

2. अभ्यर्थियों हेतु निर्देश (user instructions) में आनलाइन आवेदन-पत्र भरने से सम्बन्धित दिशा-निर्देश दिये गये हैं। View advertisement पर क्लिक करने पर पूर्ण विज्ञापन प्रदर्शित होगा, तदोपरान्त apply पर क्लिक करें। आनलाइन आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने का कार्य तीन स्तरों पर सम्पन्न होगा:-

प्रथम स्तर-

Apply पर क्लिक करने पर परीक्षा के सापेक्ष Candidate Registration प्रदर्शित होगा। Candidate Registration पर क्लिक करने पर बेसिक रजिस्ट्रेशन फार्म प्रदर्शित होगा। बेसिक रजिस्ट्रेशन फार्म भरने के पश्चात submit button पर क्लिक करने से पूर्व अभ्यर्थी भरी गयीं सूचनाओं को भली-भांति जांच लें एवं यदि कोई संशोधन करने हो तो edit button पर क्लिक करने के उपरान्त सूचनायें संशोधित कर लें। पूर्णरूपेण संतुष्ट होने के पश्चात submit button पर क्लिक करें जिससे प्रथम चरण का पंजीकरण पूर्ण हो जायेगा। अभ्यर्थी उक्त रजिस्ट्रेशन की प्रति भी प्राप्त कर लें।

द्वितीय स्तर-

परीक्षा शुल्क के भुगतान हेतु वेबसाइट पर दिये गये लिंक के माध्यम से स्टेट बैंक कलेक्ट (state bank collect) पर जाकर ई-चालान अथवा आनलाइन माध्यमों (internet banking / cards) से परीक्षा शुल्क जमा किया जा सकता है।

AKC

1. विपणन (New Advertiser)
2. विचारविनिर्देश (User Instruction)
3. नया विपणन प्रोफाइल (New Profile)
4. पत्रिका चुनने के लिए जानकारी (Information for Payment) Request Credit Form Print e Receipt
5. एप्लिकेशन का स्टेटस (Application Status)
6. एप्लिकेशन का रीजिट्रेशन (Register Application)
7. एप्लिकेशन नाम (Know Your Application Name)
8. संपर्क करें (Contact Us)



i This site has been moved to the new URL: <https://www.sbi.com/collect/portal/index.htm>



- DISCLAIMER NOTICE**
- Terms Used**
- > Corporate Customer/ Firm/Company/Institution (C/CI) collecting payment from their beneficiaries.
 - > User: The beneficiary making a payment to C/CI for the beneficiaries enrolled.
 - > Bank shall not be responsible, in any way, for the quality or workability of any pre-transaction or any of the services related thereto, whatsoever, offered to the User by the Corporate Customer. Any disputes regarding the issues or delivery of the Service or otherwise will be settled between Corporate Customer and the User and Bank will not be a party to any such dispute. Any request for refund by the User in any scenario whatsoever should be taken up directly with the Corporate Customer and the Bank will not be concerned with such a request.
 - > Bank takes no responsibility in respect of the services provided and User shall not be entitled to make any claim against the Bank for deficiency in the services provided by the Corporate Customer.
 - > The User shall not publish, display, sell or in any way disseminate any information prohibited under Rule 3(2) of the Information Technology (Intermediary Guidelines) Rules, 2011.
 - > In case of non-compliance of the terms and conditions of usage by the User, the Bank has the right to immediately terminate the access or usage rights of the User in the computer resources of the Bank and restore the non-complient information.
- I have read and accepted the terms and conditions stated above
(Click Check Box to proceed to payment)
- Proceed**

dh

ई-चालान भारतीय स्टेट बैंक की सभी शाखाओं पर जमा किया जा सकता है। ई-चालान के साथ भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में जाकर निर्धारित धनराशि जमा करके ई-चालान की प्रति प्राप्त करना होगा जिसे अभ्यर्थी द्वारा अपने पास सुरक्षित रखा जायेगा। ई-चालान की प्रति में बैंक द्वारा ट्रान्जेक्शन आई.डी. एवं जरनल नम्बर अंकित किया जायेगा जिसका उपयोग अभ्यर्थी द्वारा आवेदन-पत्र भरते समय किया जायेगा।

द्वितीय स्तर-

द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात proceed for final submission of application form पर क्लिक करने पर आवेदन प्रपत्र प्रदर्शित होगा। उक्त प्रपत्र में आनलाइन सूचनायें भरनी होगी तथा फोटो एवं हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करने होंगे। अभ्यर्थी अपनी फोटो एवं हस्ताक्षर निर्धारित आकार में ही स्कैन करें। यदि फोटो एवं हस्ताक्षर निर्धारित आकार में नहीं होंगे तो आनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा। यह भी ध्यान रखा जाय कि अभ्यर्थी की फोटो नवीनतम आवृत्त होनी चाहिये। फोटो एवं हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करने की प्रक्रिया परिशिष्ट-1 में दी गयी है। आवेदन प्रपत्र पर समस्त

AKO

प्रविष्टियां अंकित करने के पश्चात अभ्यर्थी preview button पर क्लिक करके भरी गयी सूचनाओं की पुष्टि कर लें तथा पूर्णरूपेण संतुष्ट होने के उपरान्त आनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु submit button को क्लिक करें। यदि अभ्यर्थी द्वारा submit button को क्लिक नहीं किया जायेगा तो आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी तथा इसका पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। अभ्यर्थी आवेदन-पत्र का प्रिन्ट लेकर अपने पास सुरक्षित रखें। किसी प्रकार की कठिनाई एवं विसंगति होने की स्थिति में उक्त प्रिन्ट की मांग की जा सकती है अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

3. आवेदन शुल्क-

आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम चरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात द्वितीय चरण में दिये गये निर्देशों के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान किया जायेगा। स्टेट बैंक कलेक्ट के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से भुगतान किया गया शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा।

प्रारम्भिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा हेतु पृथक-पृथक शुल्क देय होगा। विभिन्न श्रेणी के अभ्यर्थियों को निम्नवत् परीक्षा शुल्क देना होगा।

क्र.स.	श्रेणी	परीक्षा शुल्क (रुपये में)(आनलाइन प्रक्रिया शुल्क सहित)(प्रारम्भिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा हेतु पृथक-पृथक रूप से)
1	सामान्य/अनारक्षित	1050.00
2	अन्य पिछड़ा वर्ग	1050.00
3	अनुसूचित जाति	800.00
4	अनुसूचित जनजाति	800.00
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	1050.00
6	दिव्यांगजन	कोई परीक्षा शुल्क नहीं। केवल आनलाइन प्रक्रिया शुल्क रुपये 50.00 देय होगा।
7	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	क्रमांक 1-5 तक उल्लिखित अपनी मूल श्रेणी के अनुसार
8	महिला	-तदैव-
9	भूतपूर्व सैनिक	-तदैव-

4. ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अथवा किसी अन्य आयोग द्वारा प्रतिवारित (debar) किये गये हैं तथा उनकी प्रतिवारण की अवधि समाप्त नहीं हुयी है, के आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। यदि उक्त तथ्य छिपाकर आवेदन कर दिया जाता है तो भविष्य में किसी भी स्तर पर उक्त तथ्य के प्रकाश में

am

आने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है।

5. प्रस्तुत (submit) किये गये आवेदन में संशोधन-

आनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के उपरान्त यदि किसी अभ्यर्थी को आवेदन में किसी त्रुटि का ज्ञान होता है और अभ्यर्थी पूर्व प्रस्तुत आवेदन में कोई संशोधन करना चाहता है तो वह आवेदन करने की अंतिम तिथि तक, द्वितीय आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर सकता है किन्तु पूर्व आवेदन के समय भुगतान किया गया शुल्क किसी भी स्थिति में न तो वापस किया जायेगा और न ही द्वितीय आवेदन में उसका समायोजन होगा। अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में अंतिम आवेदन ही स्वीकार किया जायेगा तथा पूर्व में प्रस्तुत सभी आवेदन निरस्त माने जायेंगे/कर दिये जायेंगे।

6. रिक्त पदों का विवरण-

क. सं.	पद नाम	रिक्तियों की संख्या	आरक्षण की स्थिति				
			अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
1	समीक्षा अधिकारी	19	10	05	03	00	01
2	अपर निजी सचिव	23	10	06	05	00	02
3	वृत्त लेखक	09	06	02	01	00	00
4	समीक्षा अधिकारी (लेखा)	01	01	00	00	00	00
5	शोध सहायक	03	02	01	00	00	00
6	सुरक्षा सहायक (पुरुष)	05	04	00	00	00	01
7	सुरक्षा सहायक (महिला)	01	01	00	00	00	00

amc

8	सम्पादक	01	01	00	00	00	00
9	विशेष कार्याधिकारी प्रकाशन	01	01	00	00	00	00
10	अनुसेवक	10	05	02	02	00	01

7. रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है-

8. आरक्षण-

उत्तर प्रदेश राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त शासकीय नियमों/आदेशों के अनुसार प्रदान किया जायेगा। इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत आने वाली श्रेणियों यथा- उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित, महिला अभ्यर्थियों, उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों, उत्तर प्रदेश के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों को शासकीय नियमों के अनुसार, उक्त वर्गों हेतु रिक्तियां बनने पर आरक्षण अनुमन्य कराया जायेगा।

नोट :-

1. उत्तर प्रदेश के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिये शासन द्वारा अधिसूचित (चिन्हित) किये गये पदों पर रिक्तियां बनने पर ही आरक्षण अनुमन्य होगा।
2. ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण उत्तर प्रदेश राज्य के निवासियों को ही अनुमन्य होगा। रिट याचिका संख्या-11039/2018 विपिन कुमार मौर्य तथा अन्य प्रति उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 16.01.2019 को पारित निर्णय के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा योजित स्पेशल अपील (डी) संख्या-475/2019 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन अन्य प्रदेशों की महिला अभ्यर्थियों को भी आरक्षण अनुमन्य होगा।
3. आरक्षण का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में, इस विज्ञापन के परिशिष्ट-2 में मुद्रित तथा वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर, सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें तथा अपेक्षा किये जाने पर उक्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।
4. एक से अधिक आरक्षित श्रेणी/आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, प्रदान की जायेगी।
5. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, स्वतंत्रता सेनानी संग्राम के आश्रित, दिव्यांगजन तथा भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को, जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण/आयु में छूट का लाभ अनुमन्य नहीं है।
6. महिला अभ्यर्थियों के प्रकरणों में, पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे।



7. भूतपूर्व सैनिकों को, उनके लिये रिक्तियां उपलब्ध होने पर, केवल समूह 'ग' एवं 'घ' के पदों पर आरक्षण अनुमन्य होगा।
8. अभ्यर्थियों द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा के समय अपने आवेदन में पात्रता तथा आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु जिस श्रेणी/उप श्रेणी का दावा किया गया है, के समर्थन में समस्त वांछित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां मुख्य परीक्षा के आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है। उक्त अभिलेख संलग्न न करने अथवा सत्यापन के समय प्रस्तुत न करने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
9. आपात कमीशन प्राप्त/ अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों की पात्रता शर्तें (केवल आयु सीमा में छूट हेतु) :-
 आपात कमीशन प्राप्त/ अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी, जो सेना से अवमुक्त नहीं हुये हैं किन्तु जिनकी सैन्य सेवा में वृद्धि पुनर्वास के लिये की गयी है, भी इस परीक्षा के लिये शासनादेश संख्या-22/10/1976-कार्मिक-2-85 दिनांक 30.01.1985 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों पर आवेदन कर सकते हैं :-
 (क) ऐसे आवेदकों को थल सेना/नौसेना/वायु सेना के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनकी सेवा में वृद्धि पुनर्वास के लिये की गयी है और उनके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही लम्बित नहीं है।
 (ख) ऐसे आवेदकों को यथासमय यह लिखित अप्पडरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी कि आवेदित पद के लिये चयन हो जाने पर वह अपने को सैन्य सेवा से तत्काल अवमुक्त करा लेंगे। आपात/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी को यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी यदि उसे सेना में स्थायी कमीशन प्राप्त हो गया हो, वह त्याग पत्र देकर सेना से अवमुक्त हुआ हो एवं वह सेना से कदाचार अथवा शारीरिक अक्षमता के कारण अथवा स्वयं की प्रार्थना के आधार पर अवमुक्त न हुआ हो और जिसे ग्रेच्युटी प्रदान की गयी हो।
10. वैवाहिक प्रास्थिति-
 ऐसे विवाहित पुरुष अभ्यर्थी जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हों तथा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी हो, पात्र नहीं होंगे जब तक की महामहिम श्री राज्यपाल ने उक्त शर्त से छूट प्रदान न कर दी हो।
11. शैक्षिक अर्हता-
 इस विज्ञापन में सम्मिलित पदों का विवरण निम्न तालिका में अंकित है। उक्त पदों हेतु आवेदन-पत्र स्वीकार किये जाने की अंतिम तिथि तक उनके सम्मुख अंकित शैक्षिक अर्हता अवश्य होनी चाहिये। अभ्यर्थी उक्त अर्हता का उल्लेख अपने आन-लाइन आवेदन के निर्धारित स्तम्भ में करें :-

क्रमांक	पद नाम	शैक्षिक अर्हतायें
1	विशेष कार्याधिकारी प्रकाशन	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से साहित्य या किसी सामाजिक विषय में स्नातकोत्तर

Handwritten signature

		<p>उपाधि, उच्च गुणवत्ता का प्रकाशित कार्य या पुस्तकालय में किसी उत्तरदायी पद पर कम से कम पांच वर्ष तक कार्य करने का अनुभव धारित करना आवश्यक है।</p> <p>प्रतिबंध यह है कि ऐसे व्यक्ति को अधिमान दिया जायेगा जिसके पास पुस्तकालय विज्ञान या विधि में उपाधि हो और जिसे विधायी प्रक्रिया एवं संसदीय कार्य का अनुभव हो।</p>
2	सम्पादक	<p>1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से साहित्य अथवा किसी सामाजिक विषय में स्नातकोत्तर उपाधि धारित करना आवश्यक है।</p> <p>2. सम्पादन/अनुवाद/सारांश लेखन कार्य का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव अथवा किसी विधान मण्डल सचिवालय में उत्तरदायी पद पर पांच वर्ष की सेवा हो।</p>
3	वृत्त लेखक	<p>माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है तथा हिन्दी आशुलिपि में 140 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी आशुलिपि में 120 शब्द प्रति मिनट की गति।</p>
4	समीक्षा अधिकारी	<p>भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।</p>
5	अपर निजी सचिव	<p>1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता।</p> <p>2. हिन्दी आशुलेखन और हिन्दी टंकण में क्रमशः न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट और 25 शब्द प्रति मिनट की गति होना आवश्यक है।</p> <p>3. निम्नानुसार कम्प्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है :- नीलिट (पूर्व डी.ओ.इ.ए.सी.सी. सोसाइटी) द्वारा संचालित कम्प्यूटिंग में सर्टिफिकेट कोर्स (सी.सी.सी.) के लिये निर्धारित पाठ्यक्रम अथवा इसके समकक्ष अर्हता।</p>
6	समीक्षा अधिकारी (लेखा)	<p>1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एकाउन्टेन्सी सहित वाणिज्य में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।</p> <p>2. सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में 'ओ' लेवल प्रमाण-पत्र।</p>

one

7	शोध सहायक	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से साहित्य अथवा किसी सामाजिक विषय में स्नातकोत्तर उपाधि धारक हो एवं किसी शोध पुस्तकालय अथवा विधान मण्डल पुस्तकालय में उत्तरदायी पद पर कम से कम 03 वर्ष शोध कार्य अथवा सेवा का अनुभव हो।
8	सुरक्षा सहायक (पुरुष)	1. माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। 2. अभ्यर्थियों के लिये निम्नलिखित न्यूनतम शारीरिक मानक होना आवश्यक है:- ऊँचाई - 1.68 मीटर वजन - 59 किलोग्राम सीना - 86 सेन्टीमीटर (बिना फुलाये हुये) 91 सेन्टीमीटर (फुला कर) ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान प्रदान किया जायेगा जिनके पास सेना, नौ सेना, वायु सेना, पुलिस, प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस (पी.ए.सी.), प्रान्तीय रक्षक दल (पी.आर.डी.), राष्ट्रीय कैंडेट कोर (एन.सी.सी.), टेरिटोरियल आर्मी अथवा होमगार्ड्स का अनुभव हो।
9	सुरक्षा सहायक (महिला)	1. माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। 2. अभ्यर्थियों के लिये निम्नलिखित न्यूनतम शारीरिक मानक होना आवश्यक है:- ऊँचाई - (1) मैदानी क्षेत्र- 1.52 मीटर (2) पर्वतीय क्षेत्र- 1.47 मीटर वजन - 45 से 58 किलोग्राम ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान प्रदान किया जायेगा जिनके पास सेना, नौ सेना, वायु सेना, पुलिस, प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस (पी.ए.सी.), प्रान्तीय रक्षक दल (पी.आर.डी.), राष्ट्रीय कैंडेट कोर (एन.सी.सी.), टेरिटोरियल आर्मी अथवा होमगार्ड्स का अनुभव हो।
10	अनुसेवक	किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कक्षा पांच परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

dh

12. वेतन-

इस विज्ञापन में सम्मिलित विभिन्न पदों का वेतन निम्नवत् है-

क्रमांक	पद नाम	वेतन	
		पे-मैट्रिक्स लेवल	वेतन
1	विशेष कार्याधिकारी प्रकाशन	12	78,800-2,09,200
2	सम्पादक	10	56,100-1,77,500
3	वृत्त लेखक	10	56,100-1,77,500
4	समीक्षा अधिकारी	8	47,600-1,51,100
5	अपर निजी सचिव	8	47,600-1,51,100
6	समीक्षा अधिकारी (लेखा)	8	47,600-1,51,100
7	शोध सहायक	6	35,400-1,12,400
8	सुरक्षा सहायक (पुरुष)	3	21,700-69,100
9	सुरक्षा सहायक (महिला)	3	21,700-69,100
10	अनुसेवक	1	18,000-56,900

13. अधिमानी अर्हता-

अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के प्रकरणों में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने-

- (1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
- (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो, या
- (3) किसी खेल में राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो।

14. शारीरिक स्वस्थता-

(1) किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि उसका मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिये अंतिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा परिषद की परीक्षा उत्तीर्ण कर ले।

Handwritten signature

(2) किसी महिला अभ्यर्थी को परीक्षण के आधार पर बारह सप्ताह या अधिक की गर्भवती पाये जाने पर अस्थायी रूप से अस्वस्थ घोषित किया जायेगा। प्रसूति के दिनांक से छः सप्ताह पश्चात स्वस्थता के लिये उसका पुनः परीक्षण किया जायेगा।

15. आयु सीमा-

इस विज्ञापन में सम्मिलित समस्त पदों के लिये आयु की गणना की निश्चयायक तिथि 01.07.2020 है। विभिन्न पदों हेतु निर्धारित न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा निम्नवत् है:-

क्रमांक	पद नाम	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु
1	विशेष कार्याधिकारी प्रकाशन	30	40
2	सम्पादक	21	40
3	वृत्त लेखक	22	40
4	समीक्षा अधिकारी	21	40
5	अपर निजी सचिव	21	40
6	समीक्षा अधिकारी (लेखा)	21	40
7	शोध सहायक	21	40
8	सुरक्षा सहायक (पुरुष)	21	40
9	सुरक्षा सहायक (महिला)	21	40
10	अनुसूचक	18	40

नोट:-

(1) अभ्यर्थियों को दिनांक 01.07.2020 को न्यूनतम आयु से कम तथा अधिकतम आयु से अधिक का नहीं होना चाहिये।

(2) निम्न श्रेणी/वर्ग के अभ्यर्थियों को उनके सम्मुख अंकित विवरण के अनुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की जायेगी:-

वर्ग/श्रेणी	आयु सीमा में छूट (वर्षों में)
1. उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थी।	05 वर्ष
2. उत्तर प्रदेश के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ी अभ्यर्थियों हेतु।	05 वर्ष
3. उत्तर प्रदेश राज्य के कर्मचारियों हेतु।	05 वर्ष
4. उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षक/शिक्षणतर कर्मचारियों हेतु।	05 वर्ष
5. उत्तर प्रदेश के अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों हेतु।	05 वर्ष
6. उत्तर प्रदेश के समाज के दिव्यांग	15 वर्ष

dkd

अभ्यर्थियों हेतु।	
7. उत्तर प्रदेश के आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों/भूतपूर्व सैनिकों, जिन्होंने सेना में 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, को समूह 'क' एवं 'ख' के पदों हेतु आयु सीमा में छूट अनुमन्य है किन्तु उन्हें आरक्षण देय नहीं है।	05 वर्ष
8. भूतपूर्व सैनिकों को समूह 'ग' एवं 'घ' के पदों की उपलब्धता की स्थिति में इस शर्त के साथ 03 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी कि उनकी सम्पूर्ण सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु में से घटा कर शेष आयु निर्धारित आयु से तीन वर्ष से अधिक न हो।	03 वर्ष

16. परीक्षा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण सूचनाएँ:-

- (1) प्रारम्भिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु पुनः आनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना होगा तथा निर्धारित शुल्क भी देना होगा।
- (2) जो अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में सम्मिलित किये जायेंगे उन्हें प्रारम्भिक परीक्षा के अनुक्रमिक पर ही मुख्य परीक्षा देनी होगी।
- (3) प्रारम्भिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा की तिथियां पृथक से निर्धारित की जायेंगी जिसकी सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। अभ्यर्थियों को परामर्श दिया जाता है कि वह वेबसाइट को अवलोकित करते रहें।
- (4) इस विज्ञापन में सम्मिलित समस्त पदों (अनुसेवक के पद को छोड़कर, जिसके लिये पृथक से प्रारम्भिक परीक्षा का पाठ्यक्रम घोषित किया जायेगा) हेतु केवल एक ही प्रारम्भिक परीक्षा का आयोजन किया जायेगा किन्तु प्रत्येक पद के लिये पृथक-पृथक मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। सभापति विधान परिषद के निर्देशानुसार कतिपय पदों को क्लब (club) करके भी मुख्य परीक्षा का आयोजन कराया जा सकता है।
- (5) अभ्यर्थियों के शैक्षणिक तथा अन्य अभिलेखों का सत्यापन मुख्य परीक्षा के उपरान्त किया जायेगा। सत्यापन के समय अभ्यर्थी द्वारा स्वयं प्रमाणित दो फोटोग्राफ भी प्रस्तुत करने होंगे। मूल अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
- (6) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत कर्मचारियों तथा कतिपय अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों, जिन्हें आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट अनुमन्य है, के द्वारा अपने विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र अवश्य प्राप्त कर लिया जाय तथा अपेक्षा किये जाने पर उसे प्रस्तुत किया जाय।

ML

17. अभ्यर्थियों के लिये महत्वपूर्ण निर्देश :-

- (1) किसी भी अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन-पत्र में गलत तथ्यों का उल्लेख किये जाने, जिनकी प्रमाण-पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती है, पर अथवा किसी अन्य कदाचार पर विधान परिषद द्वारा प्रश्नगत परीक्षा तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से पांच वर्ष तक के लिये प्रतिवारित (debar) किया जा सकता है।
- (2) आनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक ही श्रेणी, उप श्रेणी, निवास प्रमाण-पत्र, लिंग, जन्मतिथि, नाम एवं पता से सम्बन्धित जो दावा किया जायेगा वही मान्य होगा। अंतिम तिथि के उपरान्त इस सम्बन्ध में परिवर्तन सम्बन्धी कोई प्रार्थना अनुमन्य नहीं होगी।
- (3) गलत एवं भ्रामक सूचना प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में त्रुटिसुधार/संशोधन हेतु कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (4) अपूर्ण आवेदन-पत्र सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जायेगा और इस सम्बन्ध में कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (5) हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण-पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। उक्त प्रमाण-पत्र के अतिरिक्त जन्मतिथि हेतु कोई अन्य अभिलेख मान्य नहीं होगा।
- (6) समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 3 में उल्लिखित दिव्यांगता से ग्रस्त होने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र, जो सक्षम चिकित्सा अधिकारी/विशेषज्ञ द्वारा निर्गत एवं मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रति-हस्ताक्षरित हो, प्रस्तुत करने पर, विधान परिषद सचिवालय द्वारा चिन्हित किये गये पदों पर, दिव्यांग की उप श्रेणी के अंतर्गत ही आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा।
- (7) आनलाइन आवेदन-पत्र जमा करने अंतिम तिथि तक भूतपूर्व सैनिकों को सैन्य सेवा से अवमुक्त होना आवश्यक है।
- (8) परीक्षा की तिथि, समय एवं केन्द्रों आदि के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित ई-प्रवेश पत्र के माध्यम से सूचना दी जायेगी।
- (9) अभ्यर्थियों को आवंटित केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केन्द्र परिवर्तन सम्बन्धी कोई प्रार्थना स्वीकार नहीं की जायेगी।
- (10) जो अभ्यर्थी कालान्तर में भी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह नहीं पाये जायेंगे, उनका अभ्यर्थन/चयन निरस्त कर दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में विधान परिषद सचिवालय का निर्णय अंतिम होगा।
- (11) आवेदन-पत्र निर्धारित प्रारूप पर न होने, आवेदन-पत्र में जन्म तिथि का उल्लेख न करने, त्रुटिपूर्ण जन्म तिथि अंकित करने, अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने, निर्धारित अंतिम तिथि के उपरान्त आवेदन-पत्र प्राप्त होने तथा आवेदन-पत्र के घोषणा पत्र के नीचे हस्ताक्षर न करने पर आवेदन-पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(12) आवेदन-पत्र की सरसरी जांच करने के उपरान्त यदि विधान परिषद सचिवालय चाहे तो अभ्यर्थियों को औपबन्धिक रूप से परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दे सकता है किन्तु किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा आवेदन-पत्र प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार करने योग्य नहीं था, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा और यदि वह चयन हेतु संस्तुत कर दिया गया है तो उसका चयन निरस्त कर दिया जायेगा।

(13) कदाचार अर्थात् परीक्षा भवन में नकल करने, अनुशासनहीनता करने, दुर्व्यवहार करने तथा अन्य अवाञ्छनीय कार्य करने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(14) इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली अन्य परीक्षाओं/चयनों से प्रतिवारित किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में विधान परिषद सचिवालय का निर्णय अंतिम होगा।

(15) इस परीक्षा के सम्बन्ध में विधान परिषद सचिवालय से किये जाने वाले पत्र व्यवहार में परीक्षा का नाम, विज्ञापन संख्या, रजिस्ट्रेशन नम्बर, जन्म तिथि, पिता/पति का नाम एवं अनुक्रमांक (यदि आवंटित कर दिया गया हो) का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिये।

(16) नियुक्ति हेतु चयनित किये जाने वाले अभ्यर्थियों को यथा-नियम स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा तथा उनका चरित्र सत्यापन भी कराया जायेगा।

18. अन्य अनुदेश :-

(1) प्रारम्भिक परीक्षा में रिक्तियों की संख्या के 13 गुने अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा हेतु सफल घोषित किये जायेंगे।

(2) ऐसे अभ्यर्थी जो विज्ञापन में उल्लिखित पदों हेतु निर्धारित अनिवार्य अर्हता से सम्बन्धित अर्हकारी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, उन्हें प्रारम्भिक परीक्षा की तिथि तक सम्बन्धित अर्हता में उत्तीर्ण होने से सम्बन्धित प्रमाण पत्र/अंक पत्र प्राप्त हो जाना आवश्यक है। प्रारम्भिक परीक्षा की तिथि के उपरान्त प्राप्त की जाने वाली अर्हता की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

(3) अभ्यर्थी ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक को भरने में केवल काले बाल प्वाइन्ट पेन का प्रयोग करें। पेन्सिल अथवा किसी अन्य पेन का प्रयोग कदापि न करें।

(4) अभ्यर्थी ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक की सभी प्रविष्टियां ठीक प्रकार से एवं सही-सही भरें। प्रविष्टियों को रिक्त छोड़ने अथवा त्रुटिपूर्ण भरने की स्थिति में ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा। इसके लिये अभ्यर्थी स्वयं पूर्णरूप से उत्तरदायी होगा।

(5) ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक में भरी गयीं सूचनाओं को व्हाइटनर,ब्लेड अथवा रबर आदि से ठीक न किया जाये और न ही मिटाया जाय।

(6) ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक दो प्रतियों में होगा। परीक्षा समाप्ति के उपरान्त उत्तर पत्रक की मूल प्रति अंतरीक्षक को सौंप दी जायेगी तथा द्वितीय प्रति अभ्यर्थी अपने साथ ले जायेंगे।

dh

(7) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये न्यूनतम दक्षता मानक 35 प्रतिशत निर्धारित है अर्थात् यदि इन श्रेणियों के अभ्यर्थी प्रारम्भिक परीक्षा तथा/अथवा मुख्य परीक्षा में 35 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता सूची/चयन सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। इसी प्रकार अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम दक्षता मानक 40 प्रतिशत निर्धारित है अर्थात् यदि इन श्रेणियों के अभ्यर्थी प्रारम्भिक परीक्षा तथा/अथवा मुख्य परीक्षा में 40 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता सूची/चयन सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे।

19. सामान्य अनुदेश :-

(1) अंतिम नियत तिथि/समय के पश्चात किसी भी स्तर के आवेदन पत्र किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

(2) अपेक्षित सूचनाओं से रहित तथा ऐसे आवेदन पत्र जिन पर अभ्यर्थी के फोटो अथवा हस्ताक्षर नहीं होंगे, समय से प्राप्त होने पर भी सरसरी तौर पर निरस्त कर दिये जायेंगे।

(3) सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन पत्र जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि/समय तक अभ्यर्थी द्वारा आनलाइन एप्लीकेशन प्रक्रिया में सबमिट बटन को क्लिक करना अनिवार्य है।

(4) विधान परिषद सचिवालय द्वारा अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं दिया जा रहा है, इसलिये अभ्यर्थियों को विज्ञापन का भली-भांति एवं सावधानीपूर्वक अध्ययन करने के उपरान्त संतुष्ट होने पर ही कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह/पात्र हैं, आवेदन करना चाहिये।

(5) पद के लिये वांछित सभी अर्हतायें, आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अंतिम तिथि तक अवश्य धारित करनी चाहिये।

(6) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों की श्रेणी में केवल पुत्र, पुत्री तथा पौत्र (पुत्र का पुत्र/पुत्री का पुत्र) एवं पौत्रियों (पुत्र की पुत्री/पुत्री की पुत्री, विवाहित/अविवाहित ही) आते हैं। इस श्रेणी के अभ्यर्थी आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र शासनादेश संख्या-453/79-बी-1-15-1(क)14-2015 दिनांक 07.04.2015 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करें।

(7) किसी कदाचार, महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/आपराधिक वाद लम्बित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन/चयन के सम्बन्ध में सिफारिश कराने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा प्रश्नगत परीक्षा तथा आगामी परीक्षाओं से प्रतिवारित किये जाने का अधिकार विधान परिषद को होगा।

(8) यदि अभ्यर्थी को आनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने में कोई कठिनाई हो रही है तो दूरभाष संख्या- +918960598833/+917275858832, ई-मेल: upvpr2020@gmail.com अथवा वेबसाइट पर 'contact us' से सम्पर्क स्थापित कर कठिनाई/समस्या का सामाधान प्राप्त किया जा सकता है।

AND


(9) फोटों एवं हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करने की प्रक्रिया परिशिष्ट- 1 में, आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्रों का प्रारूप परिशिष्ट- 2 में, प्रारम्भिक परीक्षा का पाठ्यक्रम परिशिष्ट-3 में तथा मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम परिशिष्ट-4 में दृष्टव्य है।

परिशिष्ट-1

The procedure relating to upload Photo and Signature:-
Guidelines for scanning photograph with signature.

- 1- Paste the Photo on any white paper as per the above required dimensions. Sign in the Signature space provided. Ensure that the Signature is within the box.
- 2- Scan the above required size containing photograph and signature. Please do not scan the complete page.
- 3- The entire image (of size 3.5cm by 6.0 cm) consisting of the photo along with the signature as required to be scanned and stored in jpg,jpeg,gif,tif,png format on local machine.
- 4- Ensure that the size of the scanned image is not more than 50KB.
- 5- If the size of the file is more than 50KB then adjust the settings of the scanner such as DPI resolution, no colours etc during the process of scanning.
- 6- The application has to sign in full in the box provided. Since the signature is proof of identity, it must be genuine and in full, initials are not sufficient. Signature in CAPITAL LETTERS is not permitted.
- 7- The signature must be signed only by the applicant and not by any other person.
- 8- The signature will be used to put on the HALL TICKET and wherever necessary, if the applicant's signature on answer script at the time of the examination, does not match the signature on the HALL TICKET, the applicant will be disqualified.

Sample Image & Signature :-



dw

परिशिष्ट-2

उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारीसुपुत्र/सुपुत्री
श्री.....निवासी ग्राम.....तहसील.....नगर.....
.....जिला.....उत्तर प्रदेश राज्य की.....जाति के
व्यक्ति हैं जिसे संविधान(अनुसूचित जाति आदेश, 1950 (जैसा कि समय-समय) पर संशोधित
हुआ/संविधान(अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित
जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गयी है।

श्री/श्रीमती/कुमारी.....तथा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के.....
.....ग्राम.....तहसील.....नगर.....जिला.....
.....में सामान्यतया रहता है।

स्थान.....

हस्ताक्षर.....

दिनांक.....

पूरा नाम.....

मोहर.....

पद का नाम.....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/
सिटी-मजिस्ट्रेट/परगना-मजिस्ट्रेट/
तहसीलदार/अन्य वेतनभोगी मजिस्ट्रेट,
यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण
अधिकारी।

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारीसुपुत्र/सुपुत्री
श्री.....निवासी ग्राम.....तहसील.....नगर.....
.....जिला.....उत्तर प्रदेश राज्य की.....पिछड़ी
जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित
जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की
अनुसूची-एक के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....पूर्वोक्त
अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-दो, जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित
जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण(संशोधन)) अधिनियम,
2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा उत्तर प्रदेश लोक सेवा
(अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण(संशोधन))

अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथाविहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है। श्री/श्रीमती/कुमारी.....तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के.....
ग्राम.....तहसील.....नगर.....जिला.....
में सामान्यतया रहता है।

स्थान.....
दिनांक.....
नोहर.....

हस्ताक्षर.....
पूरा नाम.....
पद का नाम.....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/
सिटी-मजिस्ट्रेट/परगना-मजिस्ट्रेट/
तहसीलदार।

(प्रपत्र-1)

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय का नाम-.....
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र
प्रमाण-पत्र संख्या-..... दिनांक.....
वित्तीय वर्ष-.....के लिये मान्य।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....पुत्र/पति/पुत्री.....
ग्राम/कस्बा.....पोस्ट आफिस.....
थाना.....तहसील.....जिला.....
राज्य.....पिन कोड.....के स्थायी निवासी हैं, जिनका
फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष.....
में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8,00,000.00 (आठ लाख रुपये मात्र) से
कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है।

- I - 5 (पांच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।
- II - एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।
- III - अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
- IV - अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी.....जाति.....के सदस्य हैं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं है।



आवेदक का
पासपोर्ट साइज
का अभिप्रमाणित
फोटोग्राफ

हस्ताक्षर.....
(कार्यालय की मोहर सहित)
पूरा नाम.....
पद नाम.....
जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/
सिटी-मजिस्ट्रेट/परगना-मजिस्ट्रेट/
तहसीलदार।

(प्रपत्र-2)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थ स्वयं घोषणा पत्र

स्वयं घोषणा पत्र

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....ग्राम/कस्बा.....

.....पोस्ट आफिस.....थाना.....ब्लाक.....

.....तहसील.....जिला.....राज्य.....

.....ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र हेतु आवेदन किया है,
एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ :-

1. मैं.....जाति से सम्बन्ध रखता/रखती हूँ जो उत्तर प्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है।
2. मेरे परिवार की कुल श्रोतों (वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय रूपये.....(शब्दों में.....) है।
3. मेरे परिवार के पास उल्लिखित आय के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्पत्ति नहीं है।

अथवा

कई स्थानों पर स्थित परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात भी मैं.....
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आता/आती हूँ।

4. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात निम्नलिखित में से किसी भी सीमा से अधिक नहीं है:-

- I- 5 (पांच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।
- II - एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।
- III - अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

IV - अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गयी जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जानता/जानती हूँ कि इस आवेदन के आधार पर दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश/लोक सेवाओं एवं पदों में प्राप्त की गयी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी/कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाण पत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा/लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिये मैं उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी।
नोट: जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर तथा पूरा नाम

स्थान:.....

दिनांक:.....

उत्तर प्रदेश के दिव्यांगों के लिये प्रमाण पत्र
CERTIFICATE FOR PHYSICALLY HANDICAP OF U.P.

NAME AND ADDRESS OF THE INSTITUTE/HOSPITAL

Certificate No..... Date:.....

DISABILITY CERTIFICATE

This is certified that

Shri./Smt./Kum.....son/wife/daughter of

Shri.....age.....sex.....

.....identification mark(s).....is suffering from permanent disability of following category.

- A. Locomotor of cerebral palsy:
- (i) BL- Both legs affected but not arms.
 - (ii) BA- Both arms affected.
 - (a) Impaired reach
 - (b) Weakness of grip
 - (iii) BLA- Both legs and both arms affected.
 - (iv) OL- One leg affected (right or left)
 - (a) Impaired reach
 - (b) Weakness of grip
 - (c) Ataxic
 - (v) OA- One arm affected
 - (a) Impaired reach
 - (b) Weakness of grip
 - (c) Ataxic
 - (vi) BH- Stiff back and hips (cannot sit or stoop)
 - (vii) MW- Muscular weakness and limited physical endurance.

- B. Blindness or Low Vision:

- (i) B- Blind
- (ii) PB- Partially Blind

C. Hearing Impairment:

- (i) D- deaf
 - (ii) PD- Partially Deaf
- (Delete the category whichever is not applicable)

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve /not likely to improve. Re-assess of this case is not recommended/is recommended after a period ofyear.....months.....

3. Percentage of disability in his / her case ispercent.

4. Shri./Smt./Kum.....meets the following physical requirements discharge of his /her duties:

- | | |
|---|--------|
| (i) F- can perform work by manipulating with figures. | Yes/No |
| (ii) PP- can perform work by pulling and pushing | Yes/No |
| (iii) L- can perform work by lifting | Yes/No |
| (iv) KC- can perform work by kneeling and couching | Yes/No |
| (v) B- can perform work by bending | Yes/No |
| (vi) S- can perform work by sitting | Yes/No |
| (vii) ST- can perform work by standing | Yes/No |
| (viii) W- can perform work by walking | Yes/No |
| (ix) SE- can perform work by seeing | Yes/No |
| (x) H- can perform work by hearing/speaking | Yes/No |
| (xi) RW- can perform work by reading and writing | Yes/No |

(Dr.....)
Member
Medical Board

(Dr.....)
Member
Medical Board

(Dr.....)
Chairperson
Medical Board
Countersigned by the
Medical Superintendent
/CMO/HQ.
Hospital (with seal)

Strike out which is not applicable.

उपरो के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिये प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....निवासी.....
.....ग्राम.....तहसील.....नगर.....
जिला.....उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/कुमारी(आश्रित).....
...पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरोक्त अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी)..... के आश्रित हैं।

हस्ताक्षर.....

पूरा नाम.....



स्थान.....
दिनांक.....

मुहर.....
जिलाधिकारी.....
सील.....

कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण पत्र जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं

शासनादेश संख्या-22/21/1983-कार्मिक-2 दिनांक 28.11.1985

प्रमाण पत्र के फार्म 1 से 4

प्रारूप-1

(मान्यता प्राप्त क्रीडा/खेल में अपने देश की ओर से अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)
सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम.....
राज्य सरकार की सेवाओं/ पदों पर नियुक्ति के लिये कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण पत्र
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री निवासी..... पूरा पता.....
.....ने दिनांक से दिनांक..... तक
.....(स्थान का नाम) में आयोजित(क्रीडा/खेलकूद का
नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में देश की ओर से भाग लिया।
उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट मेंस्थान प्राप्त किया।
यह प्रमाण पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन (यहां संस्था का नाम दिया जाय)..
.....में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान.....
दिनांक.....

हस्ताक्षर.....
नाम.....
पद.....
संस्था का नाम.....
मुहर.....

नोट: यह प्रमाण पत्र नेशनल फेडरेशन/नेशनल एसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप-2

(मान्यता प्राप्त क्रीडा/खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)
सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नामराज्य सरकार की
सेवाओं/ पदों पर नियुक्ति के लिये कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण पत्र
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री निवासी..... पूरा पता.....
.....ने दिनांक से दिनांक..... तक
.....(स्थान का नाम) में आयोजित(क्रीडा/खेलकूद का
नाम) की प्रतियोगिता (टूर्नामेन्ट स्थान का नाम..... आयोजित राष्ट्रीय

..... में उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट मेंस्थान प्राप्त किया।

यह प्रमाण पत्र..... (प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान.....
दिनांक.....

हस्ताक्षर.....
नाम.....
पद.....
संस्था का नाम.....
पता.....
मुहर.....

नोट: यह प्रमाण पत्र प्रदेशीय खेल-कूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप-3

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

विश्वविद्यालय का नाम..... राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिये कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....

आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री..... निवासी..... पूरा पता.....

..... विश्वविद्यालय की कक्षा..... के विद्यार्थी ने दिनांक.....

..... से दिनांक..... तक..... (स्थान का नाम)

में आयोजित अन्तर्विश्वविद्यालय..... (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की

प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में..... विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया। उनके

टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में..... स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण पत्र डीन आफ स्पोर्ट्स अथवा इंचार्ज खेल-कूद.....

विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान.....
दिनांक.....

हस्ताक्षर.....
नाम.....
पद.....
संस्था का नाम.....
मुहर.....

नोट: यह प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय के डीन आफ स्पोर्ट्स अथवा इंचार्ज खेल-कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप-4

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल-कूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

all

डाइरेक्ट्रेट आफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/निदेशक शिक्षा उत्तर प्रदेश राज्य
स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिये कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्रीनियासी(पूरा पता).....
... में..... स्कूल में कक्षाके विद्यार्थी ने दिनांक
.....से दिनांक.....तक(स्थान का नाम) में
आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की(क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की
प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के
द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट मेंस्थान प्राप्त किया।

यह प्रमाण पत्र डाइरेक्ट्रेट आफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार
पर दिया गया है।

स्थान.....
दिनांक.....

हस्ताक्षर.....
नाम.....
पद.....
संस्था का नाम.....
पता.....
मुहर.....

नोट: यह प्रमाण पत्र निदेशक/या अतिरिक्त निदेशक/संयुक्त या उप निदेशक डाइरेक्ट्रेट आफ
पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/शिक्षाद्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर मान्य
होगा।

परिशिष्ट-3

प्रारम्भिक परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम(अनुसेवक के पद को छोड़कर)

1. प्रारम्भिक परीक्षा में केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार का एक प्रश्नपत्र होगा।
2. प्रारम्भिक परीक्षा के कुल प्राप्तांक 100 होंगे।
3. प्रारम्भिक परीक्षा की अवधि 120 मिनट होगी।

परीक्षा

प्रश्नपत्र	प्रश्नों की संख्या	पूर्णांक	अवधि
भाग-1 सामान्य अध्ययन	50	50	120 मिनट
भाग-2 सामान्य हिन्दी	50	50	
योग	100	100	

पाठ्यक्रम

भाग-1 सामान्य अध्ययन

1. सामान्य विज्ञान
2. भारत का इतिहास
3. भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन
4. भारतीय राज्यतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृत
5. भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार
6. जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण (भारतीय परिप्रेक्ष्य में)
7. विश्व भूगोल, भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन
8. अद्यतन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम
9. सामान्य बौद्धिक क्षमता

भाग-2 सामान्य हिन्दी

1. विलोम 10 शब्द
2. वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि 10 वाक्य
3. अनेक शब्दों के लिये एक शब्द 10 शब्द
4. तत्सम एवं तद्भव शब्द 10 शब्द
5. पर्यायवाची शब्द 10 शब्द

परिशिष्ट-4

मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम

1. समीक्षा अधिकारी

1. समीक्षा अधिकारी के पद पर चयन केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा के आधार पर किया जायेगा।

प्रश्नपत्र	प्रश्नों की संख्या	पूर्णांक	अवधि
प्रथम प्रश्नपत्र(सामान्य अध्ययन)	140	140	120 मिनट
द्वितीय प्रश्नपत्र(सामान्य हिन्दी)	60	60	60 मिनट
योग	200	200	180 मिनट

पाठ्यक्रम

क- प्रथम प्रश्नपत्र(सामान्य अध्ययन)

- (1) सामान्य विज्ञान
- (2) भारत का इतिहास

- (3) भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन
- (4) भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति
- (5) भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार
- (6) जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण(भारतीय परिप्रेक्ष्य में)
- (7) विश्व भूगोल, भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन
- (8) अद्यावधिक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम
- (9) भारत के संविधान के मुख्य प्राविधान, विशेष रूप से विधान मण्डलों का गठन एवं उनकी कार्य-प्रक्रिया
- (10) उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन-सहन एवं सामाजिक प्रथाएं
- (11) सामान्य बौद्धिक क्षमता

ख- द्वितीय प्रश्नपत्र(सामान्य हिन्दी)

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| (1) विलोम शब्द | (10 शब्द) |
| (2) वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि | (10 शब्द) |
| (3) अनेक शब्दों के लिये एक शब्द | (10 शब्द) |
| (4) तत्सम एवं तद्भव शब्द | (10 शब्द) |
| (5) विशेष्य एवं विशेषण | (10 शब्द) |
| (6) पर्यायवाची शब्द | (10 शब्द) |

2. अपर निजी सचिव

1. अपर निजी सचिव के पद पर चयन की कार्यवाही दो चरणों में की जायेगी।
2. प्रथम चरण में दस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा का एक प्रश्नपत्र होगा।
3. द्वितीय चरण में आशुलेखन एवं टंकण परीक्षा का आयोजन किया जायेगा जो अर्हकारी प्रकृति की होगी। आशुलेखन एवं टंकण परीक्षा सम्पादित करने हेतु एजेन्सी का चयन माननीय सभापति जी द्वारा किया जायेगा।

प्रथम चरण-लिखित परीक्षा

प्रश्नपत्र	प्रश्नों की संख्या	पूर्णांक	अवधि
भाग-1 हिन्दी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता	50	50	120 मिनट
भाग-2 सामान्य ज्ञान	50	50	
भाग-3 सामान्य बुद्धि परीक्षण	50	50	
योग	150	150	

द्वितीय चरण-आशुलेखन एवं टंकण परीक्षा

Handwritten signature

पाठ्यक्रम

भाग-1 हिन्दी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता

प्रश्नपत्र के इस भाग में अभ्यर्थियों से हिन्दी भाषा के ज्ञान, समझ एवं लेखन योग्यता से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जायेंगे। यह प्रश्नपत्र उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा समतक परीक्षा के स्तर का होगा।

भाग-2 सामान्य ज्ञान

प्रश्नपत्र के इस भाग में अभ्यर्थियों से उसके चारों ओर के वातावरण के सम्बन्ध में सामान्य जानकारी तथा समाज में उसके उपयोग के सम्बन्ध में उसकी योग्यता आकने से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जायेंगे। इस भाग में सन-साण्यिक घटनाओं, विशेष रूप से भारत से सम्बन्धित ऐतिहासिक एवं भौगोलिक तथ्यों की जानकारी, वैज्ञानिक पहलुओं के ज्ञान, वन-पर्यावरण-जलवायु से सम्बन्धित प्रश्न भी पूछे जायेंगे। उक्त भाग के प्रश्नों का स्तर ऐसा होगा जैसाकि किसी इण्टरमीडिएट शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है।

भाग-3 सामान्य बुद्धि परीक्षण

प्रश्नपत्र के इस भाग में अभ्यर्थियों से पूछे जाने वाले प्रश्नों का उद्देश्य किसी नवीन परिस्थिति को समझने, उसके विभिन्न तत्वों का विश्लेषण तथा पहचान करने एवं तर्क की योग्यता को मापना है। इस भाग में ऐसे प्रश्न भी पूछे जायेंगे जो अनुदेशों का समझने तथा उनके सम्बन्धों, समानताओं तथा संगतताओं का पता लगाने, निष्कर्ष निकालने तथा द्रविक क्रियाओं से सम्बन्धित हों।

3. सुरक्षा सहायक (पुरुष) एवं सुरक्षा सहायक (महिला)

1. सुरक्षा सहायक (पुरुष) एवं सुरक्षा सहायक (महिला) के पद पर चयन वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा के आधार पर किया जायेगा।
2. सुरक्षा सहायक (पुरुष) एवं सुरक्षा सहायक (महिला) के पद पर अन्तिम चयन, शारीरिक मापदण्डों की पूर्ति करने वाले एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा, (जो अर्हकारी प्रकृति की होगी) जैसी की समाप्ति जी द्वारा निर्धारित की जाय, उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों से किया जायेगा।

प्रश्नपत्र	प्रश्नों की संख्या	पूर्णांक	अवधि
भाग-1 हिन्दी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता	50	50	120 मिनट
भाग-2 सामान्य ज्ञान	50	50	
भाग-3 सामान्य बुद्धि परीक्षण	50	50	
योग	150	150	

200

पाठ्यक्रम

भाग-1 हिन्दी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता

प्रश्नपत्र के इस भाग में अभ्यर्थियों से हिन्दी भाषा के ज्ञान, समझ एवं लेखन योग्यता से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जायेंगे। यह प्रश्नपत्र उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा के स्तर का होगा।

भाग-2 सामान्य ज्ञान

प्रश्नपत्र के इस भाग में अभ्यर्थियों से उसके चारों ओर के वातावरण के सम्बन्ध में सामान्य जानकारी तथा समाज में उसके उपयोग के सम्बन्ध में उसकी योग्यता आकने से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जायेंगे। इस भाग में सम-सामयिक घटनाओं, विशेष रूप से भारत से सम्बन्धित ऐतिहासिक एवं भौगोलिक तथ्यों की जानकारी, वैज्ञानिक पहलुओं के ज्ञान, वन-पर्यावरण-जलवायु से सम्बन्धित प्रश्न भी पूछे जायेंगे। उक्त भाग के प्रश्नों का स्तर ऐसा होगा जैसाकि किसी इण्टरमीडिएट शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है।

भाग-3 सामान्य बुद्धि परीक्षण

प्रश्नपत्र के इस भाग में अभ्यर्थियों से पूछे जाने वाले प्रश्नों का उद्देश्य किसी नवीन परिस्थिति को समझने, उसके विभिन्न तत्वों का विश्लेषण तथा पहचान करने एवं तर्क की योग्यता को मापना है। इस भाग में ऐसे प्रश्न भी पूछे जायेंगे जो अनुदेशों का समझने तथा उनके सम्बन्धों, समानताओं तथा संगतताओं का पता लगाने, निष्कर्ष निकालने तथा बौद्धिक क्रियाओं से सम्बन्धित हों।

4. शोध सहायक

(1) शोध सहायक के पद पर चयन वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा, जो 100 अंकों की होगी, के आधार पर किया जायेगा।

विषय	प्रश्नों की संख्या	अंक	समयावधि
भाग-1 सामान्य हिंदी	30	30	01 घंटा 30 मिनट
भाग-2 सामान्य ज्ञान	30	30	
भाग-3 पद के कार्यों/दायित्वों से सम्बन्धित प्रश्न	40	40	

पाठ्यक्रम

भाग-1 सामान्य हिंदी

प्रश्नपत्र के इस भाग में अभ्यर्थियों से हिन्दी भाषा के ज्ञान, समझ तथा लेखन योग्यता सम्बन्धी प्रश्न पूछे जायेंगे साथ ही साथ वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, तत्सम एवं



तदभव, अनेक शब्दों के लिये एक शब्द, विशेष्य एवं विशेषण एवं पर्यायवाची शब्दों से सम्बन्धित प्रश्न भी होंगे।

भाग-2 सामान्य ज्ञान

1. 'भारत का संविधान' का सम्यक् ज्ञान।
2. विभिन्न प्रदेशों, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश विधान परिषद एवं विधान सभा की कार्य प्रणाली का विशद ज्ञान।
3. सामान्य विज्ञान
4. भारत का इतिहास, विशेष रूप से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन।
5. भारत की अर्थ व्यवस्था, समाज एवं संस्कृति।
6. विश्व भूगोल, विशेष रूप से भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन।
7. महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम।
8. सामान्य बौद्धिक क्षमता।
9. उत्तर प्रदेश राज्य की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं सामाजिक प्रथायें।

भाग-3 पद के कार्यों/दायित्वों से सम्बन्धित प्रश्न

1. सामाजिक अनुसंधान
2. सामाजिक सर्वेक्षण
3. अनुसंधान समस्या, चयन एवं पहचान
4. अनुसंधान प्ररचना
5. प्रतिदर्शन/निदर्शन (सम्भावित प्रतिदर्शन एवं असम्भावित प्रतिदर्शन)
6. तथ्य संकलन के स्रोत
7. तथ्य संकलन के उपकरण
8. तथ्य संकलन की विधियां
9. तथ्य प्रक्रमण
10. विशलेषण एवं निर्वचन/आख्या
11. सांख्यिकी

5. विशेष कार्याधिकारी(प्रकाशन)

1. विशेष कार्याधिकारी प्रकाशन के पद पर चयन केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा के आधार पर किया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा में केवल एक प्रश्नपत्र होगा जिसके तीन भाग होंगे।
3. लिखित परीक्षा के कुल पूर्णांक 150 होंगे तथा प्रश्नपत्र की अवधि 120 मिनट होगी।

Handwritten signature

प्रश्नपत्र	प्रश्नों की संख्या	पूर्णांक	अवधि
भाग-1 सामान्य अध्ययन	50	50	120 मिनट
भाग -2 सामान्य हिन्दी	50	50	
भाग -3 पदीय दायित्वों से सम्बन्धित ज्ञान	50	50	
योग	150	150	

पाठ्यक्रम

क- भाग-1 सामान्य अध्ययन

- (1) सामान्य विज्ञान
- (2) भारत का इतिहास
- (3) भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन
- (4) भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति
- (5) भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार
- (6) जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण(भारतीय परिप्रेक्ष्य में)
- (7) विश्व भूगोल, भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन
- (8) अत्याधिक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम
- (9) भारत के संविधान के मुख्य प्राविधान, विशेष रूप से विधान मण्डलों का गठन एवं उनकी कार्य-प्रक्रिया
- (10) उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन-सहन एवं सामाजिक प्रथाएं
- (11) सामान्य बौद्धिक क्षमता

ख- भाग -2 सामान्य हिन्दी

- (1) विभिन्न प्रकार के पत्रों के प्रकार
- (2) अध्यादेश, विधेयक एवं अधिनियम
- (3) उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्य झोलियां
- (4) हिन्दी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियां
- (5) शब्द रचना, वाक्य रचना आदि
- (6) मुहावरे एवं लोकोक्तियां
- (7) हिन्दी साहित्य का इतिहास
- (8) शब्द भण्डार (हिन्दी से अंग्रेजी एवं अंग्रेजी से हिन्दी)
- (9) शब्द रूप, सन्धि, समास, अलंकार, क्रियायें तथा विराम चिन्ह
- (10) अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द
- (11) वर्तनी, अर्थबोध एवं शब्द-रूप

ग- भाग -3 पदीय दायित्वों से सम्बन्धित ज्ञान

- (1) पुस्तकालयों के प्रकार
- (2) पुस्तकालयों की ग्रेडिंग
- (3) भारत में पुस्तकालयों का ऐतिहासिक विकास

me

- (4) पुस्तकालयों से सम्बन्धित विधियाँ
- (5) भारत में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान शिक्षा
- (6) सूचना के स्रोत
- (7) कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर नेटवर्क एवं इंटरनेट
- (8) प्रोग्रामिंग भाषायें एवं उनका उपयोग
- (9) डिजिटल पुस्तकालय एवं पुस्तकालय का डिजिटलीकरण
- (10) भारतीय दण्ड संहिता एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रमुख प्राविधान
- (11) इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिन्ट मीडिया की महत्ता
- (12) दूरसंचार के माध्यम
- (13) वायरलेस कम्यूनिकेशन
- (14) सामग्री प्रबन्धन प्रणाली
- (15) डाटा कलेक्शन के प्रकार

6. वृत्त लेखक

1. वृत्त लेखक के पद पर चयन की कार्यवाही दो चरणों में की जायेगी।
2. प्रथम चरण में वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा का एक प्रश्नपत्र होगा।
3. द्वितीय चरण में आशुलेखन (हिन्दी आशुलिपि में 140 शब्द प्रति मिनट एवं अंग्रेजी आशुलिपि में 120 शब्द प्रति मिनट) का आयोजन किया जायेगा जो अर्हकारी प्रकृति की होगी। आशुलेखन परीक्षा सम्पादित करने हेतु एजेन्सी का चयन माननीय समापति जी द्वारा किया जायेगा।

प्रथम चरण—लिखित परीक्षा

प्रश्नपत्र	प्रश्नों की संख्या	पूर्णांक	अवधि
भाग-1 हिन्दी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता	50	50	120 मिनट
भाग-2 सामान्य ज्ञान	50	50	
भाग-3 सामान्य बुद्धि परीक्षण	50	50	
योग	150	150	

द्वितीय चरण— आशुलेखन (हिन्दी आशुलिपि में 140 शब्द प्रति मिनट एवं अंग्रेजी आशुलिपि में 120 शब्द प्रति मिनट)

पाठ्यक्रम

भाग-1 हिन्दी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता

प्रश्नपत्र के इस भाग में अभ्यर्थियों से हिन्दी भाषा के ज्ञान, समझ एवं लेखन योग्यता से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जायेंगे। यह प्रश्नपत्र उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा के स्तर का होगा।

भाग-2 सामान्य ज्ञान

प्रश्नपत्र के इस भाग में अभ्यर्थियों से उसके चारों ओर के वातावरण के सम्बन्ध में सामान्य जानकारी तथा समाज में उसके उपयोग के सम्बन्ध में उसकी योग्यता आकने से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जायेंगे। इस भाग में सम-सामयिक घटनाओं, विशेष रूप से भारत से सम्बन्धित ऐतिहासिक एवं भौगोलिक तथ्यों की जानकारी, वैज्ञानिक पहलुओं के ज्ञान, वन-पर्यावरण-जलवायु से सम्बन्धित प्रश्न भी पूछे

जायेंगे। उक्त भाग के प्रश्नों का स्तर ऐसा होगा जैसाकि किसी इण्टरमीडिएट शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है।

भाग-3 सामान्य बुद्धि परीक्षण

प्रश्नपत्र के इस भाग में अभ्यर्थियों से पूछे जाने वाले प्रश्नों का उद्देश्य किसी नवीन परिस्थिति को समझने, उसके विभिन्न तत्वों का विश्लेषण तथा पहचान करने एवं तर्क की योग्यता को मापना है। इस भाग में ऐसे प्रश्न भी पूछे जायेंगे जो अनुदेशों का समझने तथा उनके सम्बन्धों, समानताओं तथा संगतताओं का पता लगाने, निष्कर्ष निकालने तथा बौद्धिक क्रियाओं से सम्बन्धित हों।

7. समीक्षा अधिकारी (लेखा)

1. समीक्षा अधिकारी (लेखा) के पद पर चयन केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा के आधार पर किया जायेगा।

प्रश्नपत्र	प्रश्नों की संख्या	पूर्णांक	अवधि
भाग-1 सामान्य अध्ययन	50	50	120 मिनट
भाग -2 सामान्य हिन्दी	50	50	
भाग -3 बही खाता, लेखा विधि एवं अंकगणित	50	50	
योग	150	150	

पाठ्यक्रम

क- भाग-1 सामान्य अध्ययन

- (1) सामान्य विज्ञान
- (2) भारत का इतिहास
- (3) भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन
- (4) भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति
- (5) भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार
- (6) जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण(भारतीय परिप्रेक्ष्य में)
- (7) विश्व भूगोल, भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन
- (8) अद्यावधिक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम
- (9) भारत के संविधान के मुख्य प्राविधान, विशेष रूप से विधान मण्डलों का गठन एवं उनकी कार्य-प्रक्रिया
- (10) उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन-सहन एवं सामाजिक प्रथाएं
- (11) सामान्य बौद्धिक क्षमता

ख- भाग -2 सामान्य हिन्दी

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| (1) विलोम शब्द | (10 शब्द) |
| (2) वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि | (10 शब्द) |
| (3) अनेक शब्दों के लिये एक शब्द | (10 शब्द) |
| (4) तत्सम एवं तद्भव शब्द | (10 शब्द) |
| (5) पर्यायवाची शब्द | (10 शब्द) |

ग-भाग -3 यही खाता, लेखा विधि एवं अंकगणित

इस भाग में अभ्यर्थियों की मौलिक बही खाता एवं लेखा विधि के ज्ञान की योग्यता को मापने सम्बन्धी प्रश्न पूछे जायेंगे जिनमें लेखांकन के आधारभूत सिद्धान्त, प्रारम्भिक लेखा पुस्तकों की तैयारी, समायोजनार्थ-द्वारस, सन्दिग्ध ऋणों के लिये आयोजन, अदत्त एवं प्रदत्त आय-व्यय, स्कन्ध का मूल्यांकन, अंतिम खाते तैयार करना, किराया कृय एवं किस्त भुगतान पद्धति, शाखा एवं विभागीय खाते, विवालिया खाते, अधिकार शुल्क, बीमा दावों की गणना, दोहरी लेखा प्रणाली, बैंक समाधान विवरण, इंटरनेट बैंकिंग, बजट नियंत्रण में कम्प्यूटर का उपयोग, भारत सरकार/प्रदेश सरकार के लेखा का परिचय, आंतरिक लेखा परीक्षा, वित्तीय नियमों की जानकारी, आर.टी.जी.एस., भण्डार कृय नियमों की जानकारी, ई-बैंकिंग, टैक्सेशन तथा अंकगणित से सम्बन्धित प्रश्न सम्मिलित होंगे।

8. सम्पादक

1. सम्पादक के पद पर चयन केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा के आधार पर किया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा में केवल एक प्रश्नपत्र होगा जिसके तीन भाग होंगे।
3. लिखित परीक्षा के कुल पूर्णांक 150 होंगे तथा प्रश्नपत्र की अवधि 120 मिनट होगी।

प्रश्नपत्र	प्रश्नों की संख्या	पूर्णांक	अवधि
भाग-1 सामान्य ज्ञान	50	50	120 मिनट
भाग -2 सामान्य हिन्दी	50	50	
भाग -3 परीय दायित्वों से सम्बन्धित ज्ञान	50	50	
योग	150	150	

पाठ्यक्रम

क- भाग-1 सामान्य ज्ञान

- (1) सामान्य विज्ञान
- (2) भारत का इतिहास
- (3) भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन
- (4) भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति
- (5) भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार
- (6) जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण

aw

- (7) विश्व भूगोल, भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन
- (8) अद्यावधिक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम
- (9) भारत के संविधान के मुख्य प्रायिधान, विशेष रूप से विधान मण्डलों का गठन एवं उनकी कार्य-प्रक्रिया
- (10) उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन-सहन एवं सामाजिक प्रथाएं

ख- भाग -2 सामान्य हिन्दी

- (1) विभिन्न प्रकार के पत्रों के प्रकार
- (2) अध्यादेश, विधेयक एवं अधिनियम
- (3) उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्य बोलियाँ
- (4) हिन्दी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियाँ
- (5) शब्द रचना, वाक्य रचना आदि
- (6) मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ
- (7) हिन्दी साहित्य का इतिहास
- (8) शब्द भण्डार (हिन्दी से अंग्रेजी एवं अंग्रेजी से हिन्दी)
- (9) वर्तनी, अर्थबोध एवं शब्द-रूप

ग- भाग -3 पदीय दायित्वों से सम्बन्धित ज्ञान

- (1) सम्पादक के कार्य, उसकी भूमिका तथा जिम्मेदारियाँ
- (2) सम्पादन की संकल्पना, प्रक्रिया एवं महत्व
- (3) सम्पादकीय मूल्य तथा निष्पक्षता
- (4) सम्पादक के समक्ष चुनौतियाँ
- (5) शीर्षक तथा परिचय
- (6) स्टाइल बुक एवं स्टाइल शीट
- (7) समाचार पत्र, पत्रिकाएँ, समाचार अभिकरण, रेडियो तथा टेलीविजन से सम्बन्धित सम्पादकीय ढांचा
- (8) समाचार के स्रोत एवं संकलन
- (9) सूचना का सन्निप्तीकरण एवं विस्तारीकरण
- (10) अनुवाद एवं उसकी महत्ता
- (11) मुखपृष्ठ, मध्यपृष्ठ एवं अन्तिम पृष्ठ का खाका तैयार करना
- (12) अनुक्रमणिका तैयार करने के प्रकार
- (13) सामग्री प्रबन्धन प्रणाली
- (14) डाटा कलेक्शन के प्रकार
- (15) विषय-सूची एवं अनुक्रमणिका में अंतर

9. अनुसूचक

- 1- प्रश्नगत पद पर चयन दो चरणों में सम्पादित किया जायेगा।
- 2- प्रथम चरण में एक स्क्रीनिंग परीक्षा, जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, में केवल एक प्रश्नपत्र होगा।
- 3- उक्त परीक्षा के कुल प्राप्तांक 100 होंगे।
- 4- परीक्षा की अवधि 120 मिनट होगी।

abc

5- द्वितीय चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा (मुख्यतः पुरुष अभ्यर्थियों के लिये साइकिल चालन) होगी जो अर्हकारी प्रकृति की होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा से महिला एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों को छूट होगी।

प्रश्नपत्र	प्रश्नों की संख्या	पूर्णांक	अवधि
भाग-1 सामान्य ज्ञान	50	50	120 मिनट
भाग-2 सामान्य हिन्दी	50	50	
योग	100	100	

पाठ्यक्रम

भाग-1 सामान्य ज्ञान

10. सामान्य विज्ञान
11. भारत का इतिहास
12. भारतीय कृषि
13. भारत का भूगोल
14. अद्यतन राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम
15. विश्व के प्रमुख राष्ट्रों की राजधानियों एवं उनके राष्ट्राध्यक्षों के नाम
16. भारत के संवैधानिक पदधारकों के नाम
17. भारत के विभिन्न प्रदेशों की राजधानियों, उनके राज्यपालों एवं मुख्यमंत्रियों के नाम
18. भारत के महत्वपूर्ण पर्वतों एवं नदियों के नाम
19. भारत के महत्वपूर्ण पर्वों एवं ऋतुओं के नाम

भाग-2 सामान्य हिन्दी

- | | |
|--------------------------------|----------|
| 6. विलोम | 10 शब्द |
| 7. विभिन्न अलंकार | 10 वाक्य |
| 8. अनेक शब्दों के लिये एक शब्द | 10 शब्द |
| 9. समास | 10 शब्द |
| 10. पर्यायवाची शब्द | 10 शब्द |

आज्ञा से

 (देवेन्द्र कुमार गुप्ता)
 विशेष सचिव/नोडल अधिकारी
 (DEVENDRA KUMAR GUPTA)
 SPECIAL SECRETARY
 U.P. LEGISLATIVE COUNCIL SECRETARIAT